कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री रिश्ता फूड्स प्रा0 लि0, सी-10, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-3, मेरठ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**014 /2016, 12.07.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री मृत्यंजय पाण्डा, फर्म एकाउन्टेन्ट।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री रिश्ता फूड्स प्रा0 लि0, सी-10, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, इण्डस्ट्रियल एरिया, साइट-3, मेरठ रोड, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 12.07.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

Whether the Idli Dosa batter / wet Flour is to be classified as Atta under Entry No. 36 os Schedule-I or as an unclassified item ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री मृत्यंजय पाण्डा, फर्म एकाउन्टेन्ट उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-865, दिनांक 03.08.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि इडली, डोसा, बैटर में केवल तीन चावल, उड़द दाल व पानी को 4:1:5 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। अपने निर्मित उत्पाद को गीला आटा कहते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि यह आटा है और करमुक्त है। इस सम्बनध में उल्लेखनीय है कि कराधान निर्धारित करने के लिए कॉमन पैरेलॉस टेस्ट एक महत्वपूर्ण बिन्दु है और व्यापारी द्वारा उत्पादित किये गये वस्तु को आटा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। व्यापारी द्वारा निर्मित की गयी वस्तु Bun, Rusk, bread excluding Pizza bread, atta, maida, suji, besan, including besan made of pea, food items supplied under Mid Day meal scheme, Gur, jaggery and edible variety of rab gur, Khandsari, porridge, beehive, sugar as defined in section 14 of the central sales tax act 1956 unbranded honey में किसी प्रकार से आच्छादित नहीं है और यह वस्तु पृथक से कराधेय हेतु विचारणीय है। इस प्रकार उत्तर पदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I से V तक में उक्त वस्तु की बिक्री पर कोई वर्गीकरण नहीं है, अत: यह वस्तु 12.5% व अतिरिक्त कर से करदेयता निर्धारत की जानी चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि Idli Dosa batter में चावल, उड़द दाल व पानी को मिलाकर निर्माण किया जाता है जो आटा की श्रेणी में नहीं है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I की प्रविष्टि संख्या-36 में उल्लिखित वस्तुओं से पृथक है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-1 की प्रविष्टि संख्या-36 निम्नवत है :-

Bun, Rusk, bread excluding Pizza bread, atta, maida, suji, besan including besan made of pea, food items supplied under Mid Day meal scheme, Gur, jaggery and edible variety of rab gur, Khandsari, porridge, beehive, sugar as defined in section 14 of the central sales tax act 1956 unbranded honey.

अत: प्रार्थी द्वारा उत्पादित वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में न आने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। Idli Dosa batter में चावल, उड़द दाल व पानी मिश्रित करते हुए निर्मित उत्पाद आटा से पृथक है। प्रार्थी का निर्मित उत्पाद उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-36 से आच्छादित नहीं है। प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रश्नगत उत्पाद में चावल, उड़द दाल एवं पानी का प्रयोग कर grinding process के माध्यम से यह उत्पाद तैयार किया जाना बताया गया है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III व IV में वर्गीकृत नहीं है। अत: प्रश्नगत वस्तु-Idli Dosa batter पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5 + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 24 नवम्बर, 2016

ह0 /- 24.11.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।